Date – 26 July 2022

राज्यसभा क्यों मायने रखती है

- राज्य सभा, जो संवैधानिक रूप से राज्यों की परिषद है, भारत की द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। राज्य सभा की उत्पत्ति का पता 1918 की मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और उसके बाद के भारत सरकार अधिनियम, 1919 (जो संसद के दूसरे संघीय सदन के लिए प्रदान किया गया) से पता लगाया जा सकता है।
- भारतीय राज्य व्यवस्था की संघीय प्रकृति पर जोर देते हुए, राज्य सभा न केवल 'दूसरा विचार के लिए सदन' के रूप में बल्कि राज्य के अधिकारों के संरक्षक के रूप में 'सुधारों के सदन' के रूप में भी एक स्वस्थ द्विसदनीयता सुनिश्चित करती है।
- देश में प्रचलित राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, हमारे संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सभा के कार्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और भी आवश्यक हो जाता है।

भारतीय लोकतंत्र में राज्यसभा कैसे प्रासंगिक है?

स्थायी निकाय:

- लोकसभा के विपरीत, राज्य सभा कभी भंग नहीं होती है, बल्कि इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
- यह निरंतरता सुनिश्चित करता है और सदन में नए और पुराने सदस्यों के विलय का अवसर भी प्रदान करता है।
- इस प्रकार की व्यवस्था को अतीत के साथ-साथ वर्तमान राय के सुरक्षित प्रतिनिधित्व में मदद करने और सार्वजनिक नीति में स्थिरता बनाए रखने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन की भूमिका:

- राज्य सभा कानूनों की गहन समीक्षा में मदद करती है, क्योंकि यह अधिक कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में निचले सदन या लोकसभा का पूरक है।
- यह संशोधनों और पुनर्विचार का प्रस्ताव करके लोकसभा द्वारा लाए गए जल्दबाजी और दोषपूर्ण और अनुत्तरदायी कानूनों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है।
- यह छोटे और क्षेत्रीय दलों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है।

हाउस ऑफ 'चेक एंड बैलेंस':

- चूंकि लोकसभा के निर्णय लोकलुभावन हो सकते हैं और सदस्यों को सर्वोत्तम निर्णय के खिलाफ जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, राज्य सभा इस पर नियंत्रण और संतुलन का प्रयोग करती है।
- ब्रिटेन में 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' के विपरीत, राज्यसभा सदस्यों के पास वंशानुगत सदस्यता अधिकार नहीं होते हैं।

राज्यों का प्रतिनिधित्व:

- अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया का भारतीय संसदीय प्रणाली में भी अपना स्थान है जहां राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है।
- यह राज्यों, लोगों और संसद के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, जिससे विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए राज्यों को एक स्वतंत्र आवाज दी जाती है।

Yojna IAS

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन के लिए संविधान की चौथी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं।

सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देना:

- राज्य सभा के 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए 6 साल की अवधि के लिए नामित किया जाता है।
- राज्य सभा की यह विशेषता इसे और भी अधिक लोकतांत्रिक और सहभागी बनाती है क्योंकि यह उन प्रतिष्ठित लोगों को अनुमति देती है जो समाज में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और भारतीय राजनीति के उच्चतम स्तर तक जाते हैं।

राज्य सभा की विशेष शक्तियाँ

राज्य सूची के विषयों पर विधान:

- अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है, यदि राज्य सभा दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है।

अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण:

- अनुच्छेद 312 संसद को संघ और राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की अनुमति देता है, यदि राज्य सभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है।

राष्ट्रपति शासन की घोषणा:

- आमतौर पर ऐसी उद्घोषणाओं के लिए संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- लेकिन अगर उद्घोषणा के समय लोकसभा भंग हो जाती है, तो अकेले राज्य सभा राष्ट्रपति शासन लागू करने को मंजूरी दे सकती है (अनुच्छेद 352, 356 और 360।
- तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन का विस्तार करने और वर्ष 1991 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए वर्ष 1977 में राज्यसभा की बैठक विशेष रूप से बुलाई गई थी।

उपराष्ट्रपति को पद से हटाना :

- उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा पहल कर सकती है।
- निहितार्थ यह है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है न कि लोकसभा में (अनुच्छेद 67) ।

राज्यसभा से संबंधित चिंताएं

राज्यसभा के संघीय चरित्र को नष्ट करना:

- लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से, संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 3 से 'निवास' शब्द को हटा दिया है।
- 'कुलदीप नैयर फैसले' से यह समस्या और बढ़ गई, जिसने अधिवास की स्थिति को हटा दिया।
- संशोधन के बाद, कोई व्यक्ति जो न तो किसी राज्य का निवासी है और न ही अधिवास है, वह उस राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है।
- सत्तारूढ़ दलों ने कई मौकों पर अपने उम्मीदवारों को उच्च सदन में लाने के लिए राज्यसभा सीटों का इस्तेमाल किया है, जो लोकसभा चुनाव में हार गए थे।

धन विधेयकों से संबंधित सीमित शक्तियाँ:

- धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा को भी धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार करने की शक्ति नहीं है।
- इसके लिए 14 दिनों के भीतर विधेयक को उसकी सिफारिशों के साथ या उसके बिना लोकसभा को वापस भेजना अनिवार्य है।
- इस संबंध में, लोकसभा को राज्य सभा की किसी भी सिफारिश या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का स्वायत्त अधिकार है।
- दोनों ही मामलों में, धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।

राज्यसभा को 'बाईपास' करने के लिए:

- कुछ मामलों में साधारण विधेयकों को राज्य सभा को दरकिनार करते हुए धन विधेयकों के रूप में देखा गया है, जो संसद के उच्च सदन की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

Yojna IAS

संयुक्त बैठक के प्रावधान से संबंधित समस्याएं:

- गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ऐसे मामले में बैठक लोकसभा के 'प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों' द्वारा शासित होती है, न कि राज्य सभा के नियमों द्वारा।
- चूंकि संयुक्त बैठक में लोकसभा के सदस्यों की संख्या आमतौर पर अधिक होती है, इसलिए लोकसभा की इच्छा राज्यसभा पर हावी होती है।

अन्य सीमाएं:

- अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में शुरू नहीं किया जा सकता है।
- इसके अलावा, लोक लेखा समिति के कामकाज में इसकी सीमित भूमिका है और अनुमान समिति में इसकी कोई भूमिका नहीं है।

गतिरोध की स्थिति

- लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है. निम्नलिखित तीन स्थितियों में गतिरोध उत्पन्न होता है:
- यदि बिल दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है।
- यदि सदन अंततः विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में असहमत होते हैं।
- यदि विधेयक की प्राप्ति की तारीख से छह महीने से अधिक बीत चुके हैं, तो दूसरे सदन द्वारा विधेयक को पारित किए बिना।
- लोकसभा का अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।
- संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों या वित्तीय विधेयकों पर लागू होता है न कि धन विधेयकों या संविधान संशोधन विधेयकों पर।

Yojna IAS

गर्भपात कानून: भारत

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह में गर्भपात की अनुमति दी थी, लेकिन हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए ऐसे मामले में गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थिति

- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट अधिनियम ने केवल विवाहित महिलाओं को 20 सप्ताह के बाद गर्भपात करने की अनुमति दी, इसलिए अविवाहित महिलाओं को गर्भपात की अनुमति नहीं होगी।
- यह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के नियम 3बी को संदर्भित करता है, क्योंकि यह महिला की वैवाहिक स्थिति को बदलने का प्रयास करता है और लिव-इन रिलेशनशिप और अविवाहित महिलाओं को बाहर करता है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- पीठ ने कहा कि 2021 में संशोधित एमटीपी अधिनियम के प्रावधानों की धारा 3 की व्याख्या में "पति" के बजाय "पार्टनर" शब्द शामिल है, जो केवल वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न शर्तों को सीमित करने के संसद के इरादे को दर्शाता है।
- इसने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को इस आधार पर कानून के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है कि वह अविवाहित थी और ऐसा करना कानून के "उद्देश्य और भावना" के विपरीत होगा।
- इसके अलावा, पीठ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक को महिला (एमटीपी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार) की जांच करने के लिए दो डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया, जिसका कार्य यह निर्धारित करना है कि यह सुरक्षित है या नहीं और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि गर्भपात की स्थिति में मां की जान को कोई खतरा न हो।
- यदि उनकी राय है कि ऐसा करना सुरक्षित है, तो एम्स उस प्रक्रिया को आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता है।

भारतीय संदर्भ में गर्भपात कानून:

ऐतिहाँसिक परिदृश्य:

- भारत में 1960 के दशक तक गर्भपात अवैध था और एक महिला को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 312 के तहत तीन साल की कैद और/या जुर्माने के अधीन किया गया था।
- 1960 के दशक के मध्य में, सरकार ने शांतिलाल शाह समिति का गठन किया और डॉ. शांतिलाल शाह की अध्यक्षता में एक समूह को गर्भपात की जांच करने और यह तय करने के लिए कहा गया कि क्या भारत को इसके लिए एक कानून की आवश्यकता है।
- शांतिलाल शाह समिति की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा में एक चिकित्सा समाप्ति विधेयक पेश किया गया था और अगस्त 1971 में संसद द्वारा पारित किया गया था।
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमपीटी) अधिनियम, 1971 1 अप्रैल, 1972 को लागू हुआ जो जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू था।
- इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 312, गर्भवती महिला की सहमति से स्वेच्छा से गर्भपात कराना भी "गर्भपात का कारण" अपराध है, सिवाय इसके कि जब गर्भपात महिला के जीवन को बचाने के लिए किया जाता है।
- इसका मतलब यह है कि महिला खुद या डॉक्टर सहित किसी अन्य व्यक्ति पर गर्भपात का मुकदमा चलाया जा सकता है।

परिचय:

- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (एमटीपी) 1971, अधिनियम ने दो चरणों में एक चिकित्सक द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी:
- गर्भधारण के 12 सप्ताह बाद तक गर्भपात के लिए डॉक्टर की राय आवश्यक थी।
- इस कानून के अनुसार गर्भपात कानूनी रूप से केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जैसे कि जब महिला के जीवन को खतरा हो, महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो, गर्भावस्था बलात्कार के कारण हुई हो, गर्भ में बच्चे का ठीक से विकास नहीं हुआ है और विकलांग होने का डर रहता है। 12 से 20 सप्ताह के बीच गर्भधारण के संदर्भ में इन सभी बातों को निर्धारित करने के लिए दो डॉक्टरों की राय आवश्यक थी।

Yojna IAS

हाल के संशोधन:

- वर्ष 2021 में संसद ने 20 सप्ताह तक के गर्भधारण के लिए डॉक्टर की सलाह के आधार पर गर्भपात की अनुमति देने वाले कानून में बदलाव किया।
- संशोधित कानून के तहत 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए दो डॉक्टरों की राय जरूरी है।
- इसके अलावा, 20 और 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए, नियम महिलाओं की सात श्रेणियों को निर्दिष्ट करते हैं जो एमटीपी अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों की धारा 3बी के तहत समाप्ति की मांग करने के लिए पात्र होंगी।
    - यौन हमले या बलात्कार की स्थिति में
    - अल्पवयस्क
    - विधवा और तलाक की परिस्थितियाँ अर्थात वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन के समय गर्भावस्था
    - शारीरिक रूप से विकलांग महिलाएं (विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रमुख विकलांगता)
    - मानसिक रूप से मंद महिलाएं मानसिक रूप से मंद हैं
    - भ्रूण की विकृति जिसमें जीवन के साथ असंगत होने का पर्याप्त जोखिम होता है या, यदि बच्चा पैदा होता है, गंभीर रूप से विकलांग हो सकता है, शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है।
    - मानवीय आधार पर या आपदाओं या आपात स्थितियों में गर्भवती महिलाएं।

एमटीपी अधिनियम से संबंधित चुनौतियां:

- जबकि कानून गर्भवती महिला की वैवाहिक स्थिति में उसके पति या पत्नी के साथ तलाक और विधवापन में परिवर्तन को मान्यता देता है, यह अविवाहित महिलाओं की स्थिति को संबोधित नहीं करता है।
- यह एक उच्च विनियमित प्रक्रिया है जिसके तहत कानून गर्भवती महिला की निर्णय लेने की शक्ति को मान्यता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी) को हस्तांतरित करता है और यह आरएमपी के विवेक पर है कि गर्भपात किया जाना चाहिए या नहीं।

Yojna IAS

Swadeep Kumar